These regulations have been notified by the SEBI in the Gazettee Extraordinary dated 14th November, 1998.

Amendments to Election Laws

241. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of LAW, JUSTIC AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring about comprehensive amendments to the Election Laws of the country; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) and (b) A set a proposals on electoral reforms was discussed by the Government with the political parties on 22.5.1998 and pursuant to a decision taken in that meeting, a High Powered Committee under the chairmanship of Shri Indrajit Gupta, Member of Parliament, has been constituted to suggest concrete measures for providing State Funding to recognized political parties. The Committee would also consider, the relatead proposals pertaining to maintenance of accounts by political parties and audit thereof, ban on donation by companies to political parties, inclusion of expenses of political parties in the election expenses of candidates for the purposes of ceiling on election expenses and empowering of Election Commission to fix ceiling on election expenses before every general election. After the receipt of the report, the Government would hold further discussions with political parties, The Government would thereafter consider giving effect to such proposals, on electoral[1] reforms on which consensus feas been arrived at amongst political parties.

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख निजी औद्योगिक घराने

242.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी** :

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अंतर्गत आने वाली प्रमुख निजी कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिकी घरानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले निजी क्षेत्र के 10 शीर्ष औद्योगिक घरानों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अद्यतन ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा सरकार को मद-वार अदा की गई की राशि कितनी है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम.तम्बी दुरई): (क) से (घ) 27.9.1991 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अध्याय III के भाग क को हटाए जाने के फलस्वरूप अब बड़े औद्योगिक घरानों को अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित आंकड़ों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अलग से समेकित नहीं किया जाता है ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

243.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां,तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है;और

(घ) यदि हां,तो सरकार उन्हें कब तक आरक्षण प्रदान करेगी और इन सभी पदों को भरेगी ?

विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम.तम्बी दुरई): (क) और(ख) 1.11.1998 को,उच्च न्यायालयों के 587 न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के प्रति,442 न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश पदासीन थे और न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के 145 पद भरे जाने थे । रिक्तियों ब्यौरे विवरण में संलग्र हैं । (**नीचे देखिए**)

1.11.1998 को भारत के उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीशों को स्वीकृत संख्या के प्रति 19 न्यायाधीश पदसीन थे और न्यायाधीशों के 7 पद भरे जाने थे ।

(ग) और(घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति,भारत के संविधान के संगत उपबंधों के निबंधनों के अनुसार की जाती है जिनमें व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है । तथापि,सरकार समय-समय पर,राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को यह अनुरोध करते हुए,पत्र लिखती रही है वे बार से सापेक्षत: अवप्रतिनिधित्व वाले प्रवर्गो जैसे कि अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गो और महिलाओं के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं ।

विवरण

क्र.सं.		0.11.1998 को न्यायाधीशों के रिक्त पद
	उच्च न्यायालय	
1.	इलाहाबाद	27
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	मुम्बई	13
4.	कलकत्ता	16
5.	दिल्ली	5
6.	गुवाहाटी	3
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	मद्रास	7
14.	उड़ीसा	3
15.	पटना	7
16.	पंजाब और हरियाणा	14
17.	राजस्थान	10
18.	सिक्किम	1
	योग	145
II	उच्चतम-न्यायालय	7

Review of Administrative Law

244. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of LAW, JUSTIC AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the administrative laws in the country;

(b) whether Government propose to repeal and amend some of the Central Acts;

(c if so, the details thereof; and

(d) the steps taken in that direction?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) to (d) A Commission on Review of Administrative Laws was set up by the Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Administrative Reforms & Public Grievance) in May, 1998. The Commission has made a number of recommendations regarding repeal of some Central Acts. The various recommendations of the Commission have been sent to all the Ministries/ Departments of the Government of India and Chief Secretaries of all States/UT Governments for their examination/ formulation of plan of action. A -Standing